बिहार सरकार
वित्त विभाग
अ धि सू च ना

सं०-एम-4-12/2015...7806...../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131ञ के उपनियम-(ग) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- पटना दिनांक- 30.9.16

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1682/वि०, दिनांक 01.03.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ञ के उपनियम-(ग) में किये गये प्रावधान में प्रावधानित शब्द समूह "एक मात्र निविदा शेष हो" के स्थान पर "एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो" प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्नुसार प्रावधान निम्न होंगें:-

"क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी । अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो, तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015...7806.........../वि० पटना, दिनांक..30.9.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015...7806........../वि० पटना, दिनांक..30.9.16

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015...7806........../वि० पटना, दिनांक..30.9.16

प्रतिलिपि:- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

Gautam\Sec-4\S.No.-34